209

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हज़ार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

UTTAR PRADESH

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

निष्पादन दिनांक 22-10-2012 ई0, लेखपत्र का प्रकार [illegible] पत्र, भूखण्ड (गैर कृषि भूमि) [illegible] विक्रय क्षेत्रफल = 3333.20 वर्ग मीटर, [illegible] ग्राम नसीरपुर तहसील सादाबाद जिला हाथरस, विक्रय मूल्य = 20,00 [illegible] रुपया, श्रीमान जिलाधिकारी महो[illegible] द्वारा निर्धारित बाजारी दर सूची के पृष्ठ [illegible] क्रमांक 33 के अनुसार [illegible] के सहारे गैर कृषि भूमि की दर [illegible] रुपया प्रति वर्ग मीटर के अनुसार [illegible] भूमि का बाजारी मूल्य 19,99,80[illegible] [illegible] विक्रय पत्र पर पांच प्रतिशत [illegible] से देय स्टाम्प शुल्क = 2,50,000/-रु [illegible]

विक्रेता ——— क्रेता

उ०नि० साक्षा०

भारत

रु. 25000

पच्चीस हज़ार

UTTAR PRADESH

25000/- श्री नगेन्द्र प्रतापसिंह पुत्र श्री कुंवर ...
नि० ग्राम नसीरपुर ...

बैनामा 2000000/-

शुल्क मुल्य ... प्रति ० शु० ... ४९९१७६०/-

श्री/श्रीमती नगेन्द्र प्रतापसिंह पुत्र श्री ...

पेशा ... निवासी ...

ने कार्यालय सब-रजिस्ट्रार ...

22.10.2016 को समय 3 ... बजे

उप लोकेट प्रस्तुत किया।

उप रजिस्ट्रार

22.10.2016

इस लेखपत्र का निष्पादन सुन व समझकर

श्री/श्रीमती ... पुत्र/पत्नी श्री ...

निवासी ...

मुवलिग ... पाये

प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष

श्री/श्रीमती ...

विक्रेता ...

ने स्वीकार किया।

जिनकी पहिचान ...

पुत्र श्री ... निवासी ...

व श्री ... पुत्र श्री ...

निवासी ...

उप रजिस्ट्रार

22.10.2016

प्रमाणित ...

प्रमाणित यह प्रतिलिपि ...

प्रमुख निबन्धनानुसार लि...

२११

193

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

UTTAR PRADESH

072018

2

1.	भूमि का प्रकार	–	भूखण्ड (गैर कृषि भूमि)
2.	वार्ड परगना	–	सादाबाद
3.	मौहल्ला/ग्राम	–	स्थित ग्राम नसीरपुर तहसील सादाबाद जिला हाथरस।
4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0)	–	खसरा नम्बर 374
5.	मापन की ईकाई (हैक्टेयर/ वर्गमीटर)	–	वर्ग मीटर/हैक्टेयर
6	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	–	3333.20 वर्ग मीटर
7.	सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार)	–	ग्राम बल्देव से ग्राम खुटीपुर मार्ग के सहारे है।
8.	अन्य विवरण (9 मीटर रोड/ कार्नर इत्यादि)	–	नहीं
9	सम्पत्ति का प्रकार प्लाट/ फ्लैट/मकान/ दुकान/कृषि	–	गैर कृषि भूमि
10	सम्पत्ति का क्षेत्रफल (आच्छादित स्थिति में)		नहीं
11	कुल आच्छादित क्षेत्रफल		नहीं
12	स्थिति--फिनिश्ड/ सेमीफिनिश्ड/ अन्य	–	नहीं
13	पेड़ों का मूल्यांकन		नहीं
14	बोरिंग/कुआं/अन्य		नहीं
15	निर्मित क्षेत्रफल		नहीं
16	निर्माण का वर्ष		नहीं
17	सहकारी आवास समिति के सदस्य से संबंधित है		नहीं
18.	प्रतिफल की धनराशि		20,00,000/- रुपया

मुख्तारकर्ता

मुख्तारकर्ता

212

229

25000/- नं0 288 के साथ संलग्न।

22/10/2012
राम शंकर
उप निबंधक
[illegible], [illegible]
([illegible])

भारत
रु.
2500
पच्चीस हजार

UTTAR PRA
अधिकारी
2012
बाद

म-2ौली । 16

[illegible] पत्र [illegible] है जिनके कि
[illegible] नियमानुसार लिए गए।

[illegible]
[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हज़ार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

UTTAR PRADESH

503/2012

195

चौहद्दी

पूरब में --	कृषि भूमि रनवीर सिंह
पश्चिम में-	भूखण्ड प्रथम पक्ष जिसका बैनामा आज बहक केन्द्रपताप सिंह व हेमेन्द्रप्रताप सिंह हो रहा है।
उत्तर मे-	लिंक मार्ग बल्देव से खुटीपुरी।
दक्षिण में-	कृषि भूमि खसरा नम्बर 374 स्वामी प्रथम पक्ष।

प्रथम पक्ष की संख्या (.. 01...)	द्वितीय पक्ष की संख्या (... 02...)
विक्रेता का विवरण 1-दुर्गेन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री मुकटपाल सिंह कौम ठाकुर निवासी ग्राम नसीरपुर तहसील सादाबाद जिला हाथरस।	क्रेतागण का विवरण 1-नागेन्द्रप्रताप सिंह पुत्र श्री दुर्गेन्द्र कुमार सिंह 2-श्रीमती [illegible] सिंह पत्नी श्री नागेन्द्रप्रताप सिंह कौम ठाकुर निवासीग्राम नसीरपुर तहसील सादाबाद जिला हाथरस।

विक्रेता दुर्गेन्द्र कुमार सिंह

विक्रयकर्ता ---- पहचानकर्ता

उ० र०

सादाबाद

Scanned with OKEN Scanner

214

290

नं0 288 के साथ संलग्न।

22/3/2012

राम शंकर
उप रोकड़िया
उपकोषागार, सादाबाद
(हाथरस)

भा.

25

पच्चीस

UTTAR

प्राधिकारी

/2012

बाद

215

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICI[AL]

भारत

रु. 25000

Rs. 25000

पच्चीस हजार रुपये

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

UTTAR PRADESH

... [illegible] कुमार ... पुत्र श्री [illegible]पाल सिंह कौम ठाकुर नि[वासी] ग्राम नसीरपुर तहसील सादाबाद जिला हाथरस------------------------------ [प्रथम] पक्ष (विक्रेता)

एवम्

नागेन्द्र प्रताप सिंह पु[त्र] श्री दुर्गेन्द्र कुमार सिंह व श्रीमती निर्मल सिंह पत्नी श्री नागेन्द्रप्रताप सिंह कौम ठाकुर निवासीगण ग्राम नसीरपुर तहसील सादाबाद जिला हाथरस------------------------------द्वितीय पक्ष (क्रेतागण)

को हैं।

जो कि एक किता भूखण्ड (गैर कृषि भूमि) जिसकी सीमाऐं पूरब में कृषि भूमि रनवीर सिंह व पश्चिम में भूखण्ड प्रथम पक्ष जिसका बैनामा आज बहक [नागेन्द्र] प्रताप सिंह व

स० ०

सादाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JU DICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हज़ार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FI E THOUSAND R

INDIA

UTTAR PRADESH

[illegible] सिंह हो रहा है व उत्तर में सम्पर्क मार्ग [illegible] से ग्राम खु[illegible] व दक्षिण में कृषि भूमि खसरा नम्बर 374 स्वामी प्रथम प[illegible] पैमाइश उपरोक्त [illegible] इस प्रकार है यानी लम्बाई उत्तर से दक्षिण 83.3[illegible] मीटर (तिरासी [illegible] तेतीस सेंटीमीटर) व चौड़ाई पूरब से पश्चिम 40 मीटर ([illegible]लीस मीटर) मु[illegible] का कुल क्षेत्रफल 3333.20 वर्ग मीटर स्थित खसरा नम्बर 374 मौजा नसील[illegible] तहसील सादाबाद जिला हाथरस हर प्रकार के भार से प[illegible] व साफ मुझ प्रथम पक्ष की संक्रमणीय भूमिधरी है जो न्यायालय श्रीमान् उ[illegible]लाधिकारी महोदय, सादाबाद जिला हाथरस के वाद संख्या 20/9--10/09--[illegible]-2010 अन्तर्गत् धारा 143 ज०वि०आ०वि० के नियम 135(1) के अन्तर्गत् आबादी [illegible]त्र (गैर कृषि भूमि) घोषित की

भारत

Rs.

पच्चीस हज़ार रुपये TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

कारी

6

... प्रथम पक्ष ताहाल मालिक [illegible] काबिज व दखील हूं और [illegible] भूखण्ड उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझ प्रथम पक्ष ... प्राप्त है ... किसी भी प्रकार का नहीं है चूंकि भूखण्ड उपरोक्त से मुझ ... लाभ नहीं होता है और इस समय मुझ प्रथम पक्ष को रुपये की परम आवश्यकता है भूखण्ड उपरोक्त को विक्रय करने के अलावा अन्य कोई जरिया ... आवश्यकताओं की पूर्ति का नहीं है ... भूखण्ड उपरोक्त ... माकूल मिल रही है चुनान्चे मैं प्रथम पक्ष बदुरूस्ती होश हवास ... प्रकार सोच समझकर अपने उपरोक्त कुल भूखण्ड क्षेत्रफल 33[illegible].20 वर्ग मीटर जो खसरा नम्बर 374 मौजा गरीरपुर का अंश है, मजकूरे

विक्रेता

प्रथम पक्ष

क्रेता

विक्रयकर्ता

क्रेता

221

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

UTTAR PRADESH

07201.3

[illegible] को मय [illegible] अपने समस्त अधिकारा सहित [illegible] बन्दा मुतल्लिका [illegible] ऐवज मुवलिग [illegible],00,000/- रुपया (बीस लाख रुपया) [illegible] आधे मुवलिग 10,00,000/-रुपया (दस लाख रुपया) होते वहक-नागेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री दुर्गेन्द्र कुमार सिंह व श्रीमती नि[illegible]ा सिंह पत्नी श्री नागेन्द्रप्रताप सिंह कौम ठाकुर निवासीगण ग्राम [illegible]रपुर तहसील सादाबाद जिला हाथरस द्वितीय पक्ष को बै[illegible]कतई कर दीं [illegible] बेच दी और कुल जरे समन मुवलिग 20,00,000/-रुपया। इस लेखपत्र के निष्पा[illegible] से पूर्व मुझ प्रथम पक्ष विक्रेता ने क्रेतागण द्वितीय पक्ष [illegible] गांव में नगद प्राप्त क[illegible] लिये हैं तथा कब्जा व दखल भूखण्ड

विक्रेता

शिनाख्तकर्ता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 Rs. 25000

पच्चीस हजार रुपये TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

UTTAR PRADESH

कोषाधिकारी

2012

उपरोक्त पर आज की तारीख से क्रेतागण द्वितीय पक्ष का मालिकाना करा दिया है अब विक्रित भूखण्ड में मुझ प्रथम पक्ष का एवं वारिसान मेरे का कोई [illegible] न हिस्सा किसी भी प्रकार का शेष नही रहा और न आयंदा होगा क्रेतागण को आज की तारीख से अधिकार होगा कि वह विक्रित भूखण्ड पर काबिज होकर उसमें अपनी इच्छानुसार एकमंजिल अथवा बहुमंजिला निर्माण करावे अथवा किसी के फरोख्त करें या गिरवी रखें या बदस्तूर रखें अर्थात् इच्छानुसार कुछ भी करें मुझ प्रथम पक्ष को एवं वारिसान मेरे को कोई उजर नही होगा फैल मुझ प्रथम पक्ष के या नुक्स कानूनी से या दावेदारी किसी व्यक्ति के कुल या जुज कब्जा विक्रित भूखण्ड से क्रेतागण का निकल जावे या विक्रित भूखण्ड की सुरक्षार्थ कोई धन क्रेतागण को अपने पास

मुसन्नाफला

ह०व०

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

UTTAR PRADESH

2?7?01

OCT 2012

गाजियाबाद

हो अदा करना पड़े तो ... जुम्ला सूरतों में या किसी एक में केता ... मजाज होंगे कि कुल जरे समन बैनामा हाजा मय हर्जा व खर्चा मय सूद जाब्ता ... जायदाद हरगुना मुझ प्रथम पक्ष से चाहे जिस प्रकार वसूल कर लें मुझ प्रथम पक्ष एवं वारिसान मेरे को कोई उजर न होगा। विकित भूखण्ड का आपसी क्रय विक्रय सौदा मुवलिग 20,00,000/–रूपया है व बाजारी मूल्य 49,99,300/–रूपया है इस लेखपत्र पर शासनादेशानुसार पांच प्रतिशत की दर से बाजारी मूल्य पर स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। विकित भूमि लिंक सड़क के सहारे है विकित भूमि में कोई वृक्ष या नलकूप बोरिंग, निर्माण इत्यादि नही है। विकित भूमि सीलिंग, ग्राम समाज पटटे, भूदान, सरकारी ग्रान्ट की नही है विकित भूमि पर कोई सरकारी व गैर सरकारी

विक्रेता

क्रेता

गवाह

227

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

रु. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

INDIA

UTTAR PRADESH 7 02

कर्जा बकाया नही है यदि कोई कर्जा बकाया निकलेगा तो उस रूपये की अदायगी की जिम्मेदारी मुझ प्रथम पक्ष विकेता की होगी। मैं प्रथम पक्ष विकेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं हूं। हम विकेता एवं केता एतद् द्वारा यह घोषणा करते हैं कि इस लेखपत्र में दिये गये सभी विवरण सत्य व सही है कोई तथ्य छिपाया या असत्य अथवा भ्रामक नहीं है यदि बाद जाँच कोई तथ्य असत्य पाया जावे तो उसका उत्तरदायित्व हम उभयपक्षों का होगा। इस लेखपत्र का मजमून हम उभयपक्षों ने पढ़, सुन व समझकर लेखपत्र को हस्ताक्षरित किया है। अतः यह बैनामा लिपिबद्ध कर दिया कि प्रमाण रहे व समय पर काम आवे फक्त तहरीर तारीख

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

भारत

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

INDIA

UTTAR PRADESH

287403

2012

सादाबाद

11

22-10-2012 ई0 व यशोदा–वन्टी जैसवाल कार्यालय तहसील सादाबाद जिला हाथरस।

कम्प्यूटर टाइपकर्ता–

मुनीष राज वर्मा तह0 सादाबाद।

स्टाम्प विक्रेता का नाम—बन्टी जैसवाल,
अनुज्ञप्ति संख्या—55 (पचपन)
दिनांक 31-03- सन् ... तक विधिमान्य
स्थान—तहसील सादाबाद (महामायानगर)
दी गई फीस—[illegible] रुपया
हस्ताक्षर - वेण्डर

निर्मला सिंह

निर्मला सिंह

बयानकर्ता ... गुनाकर्ता

सादाबाद

23.1

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

UTTAR PRADESH

287404

12

साक्षी–1–प्रमोद कुमार सिंह पुत्र श्री कृष्णपाल सिंह निवासी ग्राम नसीरपुर तहसील सादाबाद जिला हाथरस।

साक्षी–2–मन्टोली सिंह पुत्र श्री मुरली सिंह निवासी ग्राम नसीरपुर तहसील सादाबाद जिला हाथरस।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

दस हजार रुपये

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

UTTAR PRADESH

2012

237105

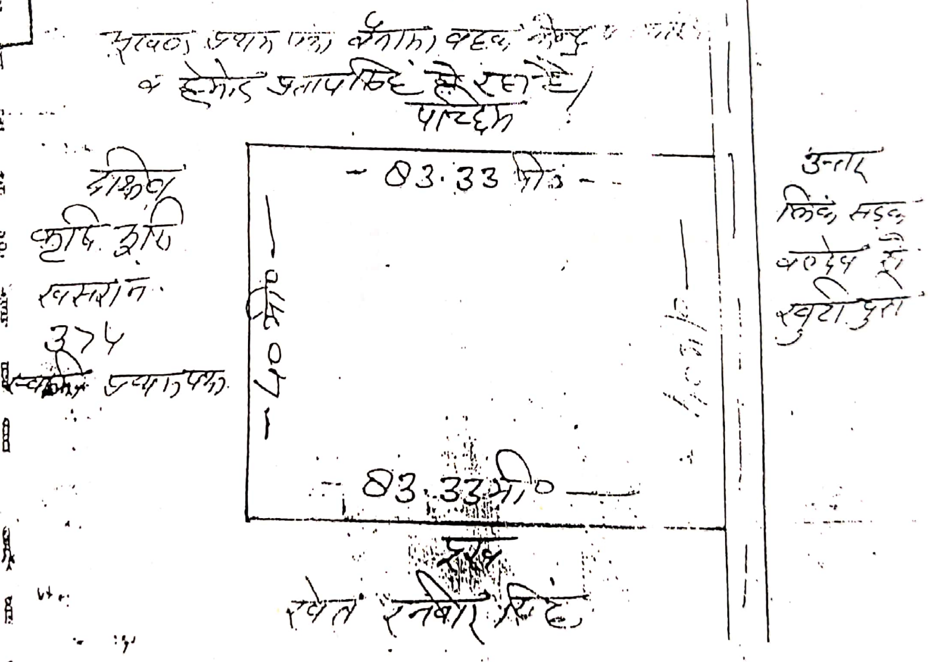

निशानी सिंह

प्रतिस्थापक

234

216 (300)

10300/2 नं0 (288) के साथ संलग्न।

बही सं. I जिल्द/खण्ड नं. 2094 के पृष्ठ 191 से 216

पर क्रमांक नं. 558 पर

दिनांक 22/10/12 को रजिस्ट्रीकृत किया।

Scanned with OKEN Scanner

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 72030100068 ग्राम का नाम : नसीर पुर परगना सादाबाद तहसील : सादाबाद

जनपद : महामायानगर फसली वर्ष : 1408-1413 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद
1	2			3	4	5	6	7-12
श्रेणी : 1-क , भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।								
00114	दुर्गेन्द्रकुमार सिह	मुकटपालसिह	नि. ग्राम	00	228	0.7410		1417फ0 व आदेश मै0 सिडीकेट बैंक शाखा [illegible] खातेदार दुर्गेन्द्रपालसिंह पुत्र मुकटपालसिंह ने बैंक मे 3,00,000/-रू0 कर्जा लेकर खाता स0 114 गाटा स0 228, 374 को बैंक में बन्धक कर दिया है ह0 आ0के 06.10.09 सीएफ 06.04.10
				00	374	3.1160		
				00	381क	0.2830		
				00	726	0.0650		
				00	727	0.0450		
				00	728	0.0650		व आदेश न्यायालय उपजिलाधिकारी सादाबाद वाद स0 20/09-10/09-07-10 अन्तर्गत धारा 143 दुर्गेन्द्र कुमार बनाम उ0प्र0 मौजा नसीरपुर के खाता स0 114 खसरा स0 374 रकवा 3.116हे0 [illegible] 1.000हे0 लगान 48.75 भूमि को [illegible] अधिनियम की धारा 143 के नियम 135 [illegible] को अ[illegible] आबादी घोषित किया जाता है ह0 [illegible] 08.10
				कुल गाटा [illegible] 6 / [illegible]		4.3150	210.35	

उत्तर प्रदेश शासन